न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 55/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. हरीशंकर बंसल पुत्र स्व0 श्री देवीचन्द, खाद्य कारोबारकर्ता एवं भागीदार मैसर्स श्री लोकेश इण्डस्ट्रीज, ई–74 ए, बृज इण्डस्ट्रीज ऐरिया भरतपुर।
2. धर्मेन्द्र कुमार, भागीदार, मैसर्स श्री लोकेश इण्डस्ट्रीज, ई–74 ए, बृज इण्डस्ट्रीज ऐरिया भरतपुर।
3. मैसर्स श्री लोकेश इण्डस्ट्रीज, ई–74 ए, बृज इण्डस्ट्रीज ऐरिया भरतपुर।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 3(1)(ZF) (C)(I)एफएसएस एक्ट 2006 सपठित एफएसएस (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.1(7), 2.2.2(3), 2.2.2.(8), 2.2.2.(9), 2.2.2.(10)

उपस्थित :

1. प्रार्थी (प्रतिनिधि)
2. गैरसायलान मय वकील

निर्णय

दिनांक : 22.03.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 3(1)(ZF) (C)(I)एफएसएस एक्ट 2006 सपठित एफएसएस (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.1(7), 2.2.2(3), 2.2.2.(8), 2.2.2.(9), 2.2.2.(10) के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 19.12.2018 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी के प्रतिनिधि उपस्थित। नियत दिनांक

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

22.03.2021 को गैरसायल मय वकील उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 04.01.2018 को दोपहर 12.45 बजे गैरसायल की फर्म मैसर्स लोकेश इण्डस्ट्रीज ई–74 ए, बृज इण्डस्ट्रीज ऐरिया भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त फर्म पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ Mustard oil (Keshav Agmark) के 15 किलोग्राम पैकिंग के 700 पैक टिन रखे हुये पाये गये। जिनमें मिलावट/मिथ्याछाप का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/16/एक्ट/2018/109 दिनांक 17.01.2018 द्वारा उक्त **Mustard oil (Keshav Agmark)** का नमूना मिथ्याछाप स्तर (Misbrand) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा मिथ्याछाप (**Misbrand**) प्रकृति के Mustard oil (Keshav Agmark) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 3(1)(ZF)(C)(I) एफएसएस एक्ट 2006 सपठित एफएसएस (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.1(7), 2.2.2(3), 2.2.2.(8), 2.2.2.(9), 2.2.2.(10) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स लोकेश इण्डस्ट्री ई–74 ए, बृज इण्डस्ट्रीज ऐरिया भरतपुर से Mustard oil (Keshav Agmark) की शुद्धता (मिलावट) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण जयपुर की जॉच रिपोर्ट में मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त Mustard oil (Keshav Agmark) की पैकिंग में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। Mustard oil (Keshav Agmark) को जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ को हानिकारक नहीं माना जाकर मिथ्याछाप पाया गया है। गैरसायल मिथ्याछाप की त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैर सायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैर सायल भविष्य में सावधानीपूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट को पैकिंग/विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रमि नरमरूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। दिनांक 04.01.2018 को दोपहर 12.15 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु **Mustard oil (Keshav Agmark)** करीब 700 पैक टिन पाये गये। खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/16/एक्ट/2018/109 दिनांक 17.01.2018 द्वारा उक्त **Mustard oil (Keshav Agmark)** का नमूना मिथ्याछाप स्तर (Misbrand) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 50000/–रूपये (पचास हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दि. 22.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)